22/09/22 पत्रावली पेश हुई। बबुवाच उपप। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से हस्तगत प्रकरण में यह ज्ञात है कि आवेदक ने अपनी खातेदारी आराजी पांतीयाडा के खसरा 664 रकबा 0-56 हेक्टर में आवागमन के लिये रेकर्डेड रास्ता नहीं होने से अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी ग्राम पांतीयाडा के खसरा 639 रकबा 3.52 हेक्टर की आराजी व राजकीय आराजी खसरा 547 रकबा 91.65 हेक्टर में से धारा 251(क) के तहत नवीन रेकर्डेड रास्ता की मांग की गई है। जिस संबंध में तहसीलदार वाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म

प्रस्तावित मार्ग में ख.नं. 547 रकबा 72.05
हैक्टर गैर मु. मोकर होने से प्रोविजनिंग भूमि
से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हरीसिंह
के ख.नं. 639 रकबा 3.52 हैक्टर में से
(224×8) = 1792 वर्गमीटर में से तहसीलदार
बाली ने रिपोर्ट में प्रस्तावित किया, तथा साथ
ही मौके पर डामर सड़क होना भी जाहिर
किया। इस प्रकार प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित
रूट पर मौके पर डामर सड़क चालू है परन्तु
रेकर्ड में रास्ता दर्ज नहीं है। इस वजह से
धारा 251(A) RTA के तहत प्रार्थी का प्रकरण गठित
नहीं होता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 251(A)
खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार बाली
को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-8) विभाग के परिपत्र क्रमांक
प. 3(171) राज-6/2002 पार्ट/91 जयपुर
दिनांक 30-9-2021 की रोशनी में धारा 131 के
तहत कदीमी रास्ता को रेकर्ड में दर्ज हेतु
आवश्यक साक्ष्यों सहित जांच/अनुशंसा
सहित इस कार्यालय/न्यायालय को भिजवाया
जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नंबर से कम हो।

Scanned by CamScanner